

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 643. सन 2020

अनवान :-

1. मनोज कुमार नैण पुत्र पप्पूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मुकेश नैण पुत्र पप्पूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. इन्द्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. मायावती पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. मंजु पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. गायत्री पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 80/93 की कुल 0.9200 हैक एवं ढाणी चारणान के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.2370 हैक एवं चक सरादारपुरा के खाता संख्या 112/102 की कुल 9.5350 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा बृजलाल पुत्र गुगनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस उसके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है इसप्रकार बृजलाल पुत्र गुगनराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो बृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है जो बृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बुआ/बहने है एवं बृजलाल पुत्र गुगनराम की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो वृजलाल पुत्र गुगनराम की भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 80/93 की कुल 0.9200हैक् एवं ढाणी चारणान के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.2370हैक् एवं चक सरादारपुरा के खाता संख्या 112/102 की कुल 9.5350हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा वृजलाल पुत्र गुगनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस उसके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है इसप्रकार वृजलाल पुत्र गुगनराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है जो वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बुआ/बहने है एवं वृजलाल पुत्र गुगनराम की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 80/93 की कुल 0.9200हैक् एवं ढाणी चारणान के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.2370हैक् एवं चक सरादारपुरा के खाता संख्या 112/102 की कुल 9.5350हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के दादा वृजलाल पुत्र गुगनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो वृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में वृजलाल पुत्र

अधिकारी
नोहर

गुगनराम का मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 80/93 की कुल 0.9200 हैक् एवं ढाणी चारणान के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.2370 हैक् एवं चक सरादारपुरा के खाता संख्या 112/102 की कुल 9.5350 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है में बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3,4 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनोज कुमार नैण पुत्र पप्पूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मुकेश नैण पुत्र पप्पूराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. इन्द्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. मायावती पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. मंजु पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. गायत्री पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 643 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 80/93 की कुल 0.9200हैक् एवं ढाणी चारणान के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.2370हैक् एवं चक सरादारपुरा के खाता संख्या 112/102 की कुल 9.5350हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बृजलाल पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज है में बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)